उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–1
संख्या–2042/9–1–2022–57टी.ए./20
लखनऊ : दिनांक–22 जुलाई, 2022

अधिसूचना

चूँकि, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 4 की अपेक्षानुसार नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत पचपेड़वा, जिला बलरामपुर के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में जनसामान्य से आपत्तियॉ और सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से अधिसूचना संख्या–2078/नौ–1–2020–57टी0ए0–20 दिनांक 10 दिसम्बर, 2020 जारी की गयी थी और तद्दिनांक को गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और चूँकि, उक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण शासनादेश संख्या–1536/9–1–2022–57टी0ए0/20, दिनांक 15 जून, 2022 द्वारा कर दिया गया है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या–3781टी/9-1-50जी/69, दिनांक 11 जुलाई, 1972 और इस निमित्त जारी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल संविधान के भाग–नौ–'क' के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत–पचपेड़वा, जिला बलरामपुर के संक्रमणशील क्षेत्रों में सम्मिलित करती हैं:–

अनुसूची

नगर पंचायत पचपेड़वा, जिला बलरामपुर के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र :–

क्रम सं0	ग्राम का नाम	दिशा	गाटा संख्याओं का विवरण
1	पचपेड़वा ग्रामीण	उत्तर	01 से 49 तक, 360 से 393 तक, 393/2001, 394 से 399 तक, 309 से 326 तक।
		दक्षिण	1305 से 1497 तक, 1507 से 1509 तक, 1517, 1619, 1620, 1621, 1919 से 1940 तक, 1940/1998, 1941 से 1998 तक।
		पूर्व	258 से 308 तक, 400 से 478 तक, 966 से 994 तक, 1769 से 1917 तक।
		पश्चिम	652 से 889 तक, 1125 से 1304 तक, 1536 से 1589 तक।
2	सिसहनिया बरगदही	दक्षिण	01 से 960 तक।
3	बरगदहा सैफ	पूर्व	01 से 1628 तक।

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना का एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक–22 जुलाई, 2022 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50–50प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल, देवीपाटन।
(2) जिलाधिकारी, बलरामपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
(3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
(5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
(6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Nagar Vikas Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no- 2042/9-1-2022-57T.A./20, dated July22, 2022.

NOTIFICATION

No- 2042/9-1-2022-57T.A. /20
Lucknow- Dated; July 22, 2022

WHEREAS Notification no-2078/IX-1-2020-57T.A./20 dated; December 10, 2020 was issued and published in the Gazette on the same date with a view to invite objections and suggestions from the general public with respect to the inclusion of the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Pachpedwa in District Balrampur as required by section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P.Act no-II of 1916);

AND WHEREAS objections and suggestions received in pursuance of the said notification were disposed of vide Government order no-1536 /9-1-2022-57T.A. /20 dated June , 2022;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers under clause- (2) of Article 243-Q of the Constitution read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no-II of 1916), and in partial modification of Notification no.3781T/9-1-50G/69 dated July 11,1972 and other previous notifications issued in this behalf the Governor is pleased to include the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Pachpedwa in District Balrampur for the purposes of Part IX-A of the Constitution.

SCHEDULE

Area being included in the transitional area of Nagar Panchayat Pachpedwa in District Balrampur :-

Sr. No.	Name of Villages	Direction	Detail of Gatas
1	Pachpedwa Rural	North	01 to 49, 360 to 393, 393/2001, 394 to 399, 309 to 326,
		South	1305 to 1497, 1507 to 1509, 1517, 1619, 1620, 1621, 1919 to 1940, 1940/1998, 1941 to 1998,
		East	258 to 308, 400 to 478, 966 to 994, 1769 to 1917,
		North	652 to 889, 1125 to 1304, 1536 to 1589,
2	Sisahniya Bargadhi	South	01 to 960,
3	Bargadha Saif	East	01 to 1628.

(Amrit Abhijat)
Principal Secretary